एशिया में एड्स पर आयोग की रिपोर्ट जारी किए जाने के अवसर पर प्रधान मंत्री का भाषण

30 जून, 2008

मुझे एशिया में एड्स के आयोग की रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर वाकई खुशी महसूस हो रही है। मैं अपने मित्र डॉ. सी.रंगराजन और कमीशन के उनके सहयोगियों को एक अत्यंत आवश्यक रिपोर्ट बनाने के लिए बधाई देता हूं। यह एक अच्छी तरह से अनुसंधान किया गया दस्तावेज है जो जानकारी और विश्लेषण को एक साथ रखता है जिससे हम एशिया के देशों में एचआईवी/एड्स महामारी से निपटने की रणनीतियां बनाने में मदद ले सकते हैं।

यह खुशी की बात है कि यह रिपोर्ट भारत में अपनाए गए मूलभूत रणनीतिक ढांचे को वैध मानती है। यह रिपोर्ट हमारे द्वारा इस महामारी को समझने की बात का समर्थन करती है। यह दर्शाती है कि इस महामारी से निपटने के लिए भारत में अपनाए गए हमारे कदमों का आधार ठोस है।

इस रिपोर्ट में साफ तौर पर इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर हमें ठोस उपलब्धियां हासिल करनी हैं तो इस समस्या की ओर हमारे लोक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को महत्व देना होगा। लोक स्वास्थ्य दृष्टिकोण उन रणनीतियों पर जोर देता है जो संभाव्य जनसंख्या समूह पर ध्यान केन्द्रित करते हैं जिनमें यह वायरस प्राथमिक रूप से होता है और इस समस्या की जड़ तक इसके संचार को नियंत्रण में लाने के लिए जाता है।

कुछ हद तक संतुष्ट होने की बात है कि भारत में परिस्थिति उतनी चिंताजनक नहीं है जितनी कि कुछ वर्ष पूर्व इसे दर्शाया गया था। इस बात का दावा किया गया था कि भारत में एचआईवी से संक्रमित लोगों की संख्या करीब 50 लाख तक हो जाएगी, परंतु हाल ही के अनुमानों से पता चलता है कि यह संख्या 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है, खासकर आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में।

एचआईवी/एड्स महामारी ने हमारे कई सामाजिक पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाया है। भारी संख्या में मामले सेक्स के माध्यम से संचारित होते पाये गए हैं। इनसे निपटने के उपायों में अपनाई जा रही रणनीतियों में अधिक समावेशी और जन स्वास्थ्य तथा वैयक्तिक स्वच्छता के प्रश्नों पर कम आरोप लगाने वाला सामाजिक दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है।

इसकी शुरूआत एड्स के वायरस से ग्रसित लोगों पर लगे सामाजिक कलंक के मुद्दे का निपटान कर की जानी चाहिए। मेरा यह मानना है कि एचआईवी/एड्स के बारे में बढ़ती जागरुकता हमें इन मुद्दों की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य करती है।

सरकार को इसमें प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। हमें उन कानूनी अड़चनों को दूर करना होगा जो उच्च खतरे वाले समूहों को सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। एक ऐसा कानून बनाने का प्रस्ताव रखा गया जिसके अनुसार ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जो एड्स से ग्रसित व्यक्ति का रोजगार, संपत्ति अथवा सेवाएं उपलब्ध होने में भेदभाव करेगा। इस पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए।

यह सत्य, कि कई संभाव्य सामाजिक समूह, चाहे वे सेक्स कार्यकर्ता हों या समलैंगिक हो या मादक पदार्थ के उपयोगकर्ता हों, ये सभी लोगों के प्रति काफी सामाजिक पूर्वाग्रह होता है और इससे एड्स के शिकार लोगों की पहचान कर उनका उपचार करना बेहद मुश्किल हो जाता है।

अगर हमें एचआईवी/एड्स के खिलाफ यह लड़ाई जीतनी है तो हमें अधिक सहिष्णु सामाजिक पर्यावरण की रचना करनी होगी। इस समस्या के प्रति अधिक नरम रुख अपनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को सामाजिक रूप से अस्वीकार्य या चिकित्सकीय तौर से अस्वीकृत यौन कार्यकलापों की भर्त्सना करने की आवश्यकता नहीं है। यह पूरे समाज के हित में है कि एड्स से ग्रसित प्रत्येक व्यक्ति उसके खिलाफ जंग जीत जाए। वे इसके योग्य हैं और सम्मान के साथ जीना उनका हक है।

संभाव्य जनसंख्याओं को ध्यान में रखकर शुरू किये गए टारगेट इन्टरवेन्शन प्रोजेक्ट्स महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं। अधिक व्यापक शिक्षा आधारित कार्यक्रम इनके साथ होने चाहिए। उचित स्कूली स्तरों पर दी गई आधुनिक यौन शिक्षा भी काफी महत्वपूर्ण है।

इस रिपोर्ट ने एचआईवी और एड्स के प्रति राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के एक अहम भाग के रूप में राजनीतिक पहल और नेतागण के महत्व को चिन्हित किया है। इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रगतिशील नीतिओं में सहयोग देने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों और न्यायपालिका का भी एक विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

इस नीति के प्रत्येक स्तर पर सामुदायिक और सिविल समाज के महत्व पर जोर दिया गया है। केवल उनके सहयोग से ही कन्डोम के उपयोग सहित स्वस्थ यौन क्रियाकलाप के बारे में जन जागृति का व्यापक प्रचार किया जा सकता है और सामाजिक पूर्वाग्रहों को खत्म किया जा सकता है।

हमें उन संभावनाओं को समझने की जरूरत है जो कुछ लोगों को जोखिम भरे तरीके अपनाने पर मजबूर करती हैं और इस प्रकार के लोगों को विश्वसनीय और

संगत सूचना और आधारभूत सेवाएं प्रदान करने की जरूरत है। हमें उन्हें अपने पूरे होशो-हवास में और जिम्मेदारी से अपनी खुद के चयन अपनाने के लिए सहयोग देना होगा। हमें उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए और यौन के चुनाव के बारे में हमारे पूर्वाग्रहों को दूर कर सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रोत्साहन देना होगा।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा किये जा रहे कार्य और रणनीतियों को सहयोग देने के प्रति हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह खुशी की बात है विगत दो वर्षों के दौरान सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए निवारण और उपचार के बीच संतुलन बनाते हुए इस क्षेत्र में काफी कार्य किया गया है। मैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को इस अति मुश्किल समस्या का निवारण करने और इस रोग को नियंत्रित करने में दिखाई गई अगुआई के लिए बधाई देता हूं।

मेरी यह अपील है कि सभी चिकित्सक, अस्पताल और देशभर के रक्त बैंक रक्त को इकठ्ठा करने और खून चढ़ाने के लिए न्यूनतम जोखिम और बेहतरीन तरीके अपनाएं। प्रत्येक नागरिक को हमारे रक्त सुरक्षा के तरीकों में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। मैं इसलिए खुश हूं कि राष्ट्रीय रक्ताधान प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए पहल की गई है।

एचआईवी/एड्स की समस्या और सार्स (SARS) जैसी अन्य महामारी तथा एवियन फ्लू उस प्राचीन भारतीय कहावत " वसुधैव कुटुम्बकम्" को स्पष्ट रूप से चरितार्थ करती हैं कि " संपूर्ण विश्व एक परिवार है।" प्रकृति की सभी घटनाओं की तरह बीमारियां राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहतीं। इसलिए महामारियों के प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया केवल राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं रखी जा सकती।

वस्तुतः प्रत्येक देश और प्रत्येक सरकार के पास मानव सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति ऐसे खतरों से निपटने के लिए रणनीति होनी चाहिए। हमें राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर निवारक और सुधारात्मक रणनीतियों की जरूरत है। तथापि, ऐसी राष्ट्रीय स्तर की कोशिश एक व्यापक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोशिश का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए मुझे इस बात को देखकर खुशी हो रही है कि मेरे मित्र डॉ. रंगराजन ने इस आयोग की अगुआई की जो इस समस्या के प्रति एशियाई स्तर पर व्यापक दृष्टिकोण रखता है।

हम काफी तेजी से एकीकृत होते जा रहे विश्व में रहते हैं। आज मानवजाति के सामने कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका अपनी खुद की सरकारों द्वारा अपनी राष्ट्रीय सीमाओं में रहकर निवारण किया जा सकता है। चाहे वह महामारी की समस्या हो, चाहे वह खाद्य सुरक्षा की समस्या हो, चाहे वह बढ़ती ऊर्जा कीमतों की समस्या हो,

चाहे वह जल की कमी और जल के उपयोग की समस्या हो, चाहे वह जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो, चाहे वह आतंकवाद की समस्या हो, चाहे वह मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों के प्रसार की समस्या हो, चाहे वह व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार का खतरा हो - इन सभी में वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली सहयोगात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।

हमारे सामने खड़ी प्रत्येक चुनौती के राष्ट्रपारीय आयाम और राष्ट्रपारीय निहितार्थ भी हैं। अब ऐसे विश्व का कोई अस्तित्व नहीं है जहां की राष्ट्रीय सरकारों को उनके सामने राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के नाम पर आ रही चुनौतियों का सामना स्वयं करना हो। हम ऐसे युग में रहते हैं जहां विश्व के देश एक दूसरे पर निर्भर होते जा रहे हैं।

मैं इस तथ्य से उत्साहित हूं कि एचआईवी/एड्स के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया रचनात्मक रही है और इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि यह हमें ऐसी अन्य चुनौतियों का सामना करने के लिए भविष्य में रास्ता दिखाएगी। मैं आशा करता हूं कि इस विषय पर यह रिर्पोर्ट पहले से उपलब्ध जानकारी में और वृध्दि करेगी और घरेलू स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से इससे निपटने में मदद करेगी। मैं इस रिपार्ट तैयार करने वालों की सराहना करता हूं।

धन्यवाद।

***